-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **गिरोह बनाकर चोरी, नकबजनी ,हत्या के प्रयास आदि की घटनाओं को अंजाम देने वाले 25 हजार रुपए के इनामिया वांछित गैंगस्टर अभियुक्त को थाना नरैनी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में गिरोह बनाकर चोरी, लूटपाट ,नकबजनी तथा हत्या का प्रयास आदि घटनायें कारित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के 25 हजार के इनामिया वांछित अभियुक्त को थाना नरैनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त गैंग बनाकर अपने अन्य साथियों के साथ, चोरी नकबजनी आदि की घटनाओं को अंजाम देता था जिसके सम्बन्ध में थाना नरैनी में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अभियुक्त की जल्द गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था जिसे थाना नरैनी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम प्रसिद्धपुर राजापुर पहाड़ी मार्ग चित्रकूट से गिरफ्तार किया गया। बता दे कि पूर्व में दिनांक 07.03.2026 को गैंग के एक अन्य सदस्य रवि पुत्र रामचन्द्र निवासी राजनगर थाना नरैनी जनपद बांदा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरूण पुत्र दशरथ निवासी ग्राम प्रसिद्धपुर थाना राजापुर पहाड़ी जनपद चित्रकूट।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग अभियुक्त रवि उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 142/25 धारा 313/109/305/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 87/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 02/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना बदौसा जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0 165/25 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संदीप तिवारी प्र0नि0 थाना नरैनी
2. उ0नि0 श्री कल्बे अब्बास खां
3. हे0कां0 महेश कुमार
4. कां0 अनूप कुमार मिश्रा